(१९)

क्रम-संख्या –74

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 27 मार्च, 2001

चैत्र 06, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 747/सत्रह-वि०-1—1 (क) 19-2001

लखनऊ, 27 मार्च, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 24 मार्च, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976 में नयी धारा 12-क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

औद्योगिक नगरी के लिए पंचायत नहीं होगी

"12-क किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहाँ कोई औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका कोई भाग संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाय, वहाँ ऐसा औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका भाग, यदि किसी पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित हो, उक्त परन्तुक के अधीन की गई अधिसूचना के दिनांक से, ऐसे पंचायत क्षेत्र से अपवर्जित हो जायगा और ऐसे औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसके भाग के लिए यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 या उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन कोई पंचायत गठित नहीं की जायगी, और ऐसी अधिसूचना के दिनांक के पूर्व ऐसे औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसके भाग के लिए गठित पंचायत समाप्त हो जायगी।

स्पष्टीकरण:—पद 'पंचायत' और 'पंचायत क्षेत्र' का तात्पर्य वही होगा जो संविधान के भाग नौ में क्रमशः उनके लिये दिये गये हैं।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी क्षेत्र को औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित करने और ऐसे विकास क्षेत्र के संबंध में कतिपय कृत्यों का सम्पादन यथा, भूमि का अर्जन ऐसे क्षेत्र के लिए योजना की निर्मिति, औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिए स्थलों का सीमांकन और विकास, तथा अनुरचना की व्यवस्था, सुविधा की व्यवस्था और भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना का विनियमन, करने के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारी के गठन का उपबन्ध किया गया है। ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय निकाय भी तत्समान कृत्यों का सम्पादन करती है जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिकारिता के प्रयोग पर औद्योगिक विकास प्राधिकारी और स्थानीय निकाय के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 243-थ द्वारा राज्यपाल को लोक अधिसूचना द्वारा, किसी नगरीय क्षेत्र या उसके भाग को, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं, और ऐसी अन्य बातों को, जिन्हें वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त किया गया है। उक्त अनुच्छेद 243-थ के अधीन किसी क्षेत्र के औद्योगिक नगरी के रूप में घोषित हो जाने पर ऐसे क्षेत्र के लिए नगरपालिका का गठन किया जाना आवश्यक नहीं है। अतएव, उक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है ताकि जहाँ उक्त अनुच्छेद 243-थ के अधीन किसी औद्योगिक विकास क्षेत्र को औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाय, वहाँ ऐसा क्षेत्र किसी पंचायत क्षेत्र से अपवर्जित रहे और ऐसे क्षेत्र के लिए किसी पंचायत का गठन न किया जा सके और ऐसे क्षेत्र या उसके भाग के लिए गठित कोई पंचायत, जो उसके औद्योगिक नगरी क्षेत्र के रूप में घोषित किये जाने के पूर्व गठित की गई हो, अस्तित्वहीन हो जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

No. 747(2)/XVII-V-1—1(KA)19-2001
Dated Lucknow, March 27, 2001

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Kshettra Vikas (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 24, 2001 :—

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 2001

(U. P. Act no. 4, 2001)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-Second Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) Act, 2001.

Insertion of new section 12-A in U.P. Act no. 6 of 1976

2. *After* section 12 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976, the following section shall be *inserted*, namely:—

No Panchayat for industrial township

"12-A. Notwithstanding anything contained to the contrary in any Uttar Pradesh Act, where an industrial development area or any part thereof is specified to be an industrial township under the proviso to clause (1) of Article 243-Q of the Constitution, such industrial development area or part thereof, if included in a Panchayat area, shall, with effect from the date of notification made under the said proviso, stand excluded from such Panchayat area and no Panchayat shall be constituted for such industrial development area or part thereof under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 or the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961, as the case may be, and any Panchayat constituted for such industrial development area or part thereof before the date of such notification shall cease to exist.

Explanation:—The expression "Panchayat and Panchayat area" shall have the meanings respectively assigned to them in part IX of the Constitution."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 provides, *inter alia*, for declaration of an area as Industrial Development Area and for constitution of an Industrial Development Authority for such area to perform certain functions, such as to acquire land, to prepare plan for such area to demarcate and develop sites, and provide infra-structure, for industrial, commercial and residential purposes, to provide amenities and to regulate the erection of buildings and setting up of industries. The local bodies having jurisdiction over such area also perform similar functions as a consequence of which sometimes disputes arise between the Industrial Development Authority and the local authority over the exercise of jurisdiction in respect of such area. Article 243-Q of the Constitution empowers the Governor to specify, by public

notification, any urban area or part thereof, having regard to the size of the area and the municipal services being provided or proposed to be provided by an industrial establishment in that area and such other factors as he may deem fit, to be an industrial township. Upon the declaration of an area as Industrial Township under the said Article 243-Q, constitution of a municipality for such area is not necessary. It has, therefore, been decided to amend the said Act so that where an Industrial Development Area is specified to be an industrial township under the said Article 243-Q, such area would stand excluded from any panchayat area, and no panchayat would be constituted for such area, and any panchayat constituted for such area, or part thereof, before its declaration as industrial township would cease to exist.

The Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) Bill, 2001 is introduced accordingly.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 295 सा० विधा०—(7433)—2001—850—(कम्प्यूटर/आफसेट)।